भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3501
जिसका उत्तर सोमवार 15 जुलाई, 2019
24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है

पीएसयू भूमि और भवनों हेतु परामर्शी फर्में

3501. श्री वी.के. श्रीकंदन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम कंपनियों की भूमि और भवन संपत्ति बेचने में सहायता के लिए परामर्शी फर्मों के लिए स्काउट कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार वर्ष 2019-20 के लिए 90,000 करोड़ रुपये के अपने कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने अंतरराष्ट्रीय संपत्ति परामर्शी फर्मों या किसी अन्य अनुभवी फर्मों को पैनलबद्ध करने के लिए अनुरोध जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क), (ग) और (घ) : जी, हां। दीपम ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/अन्य सरकारी संगठनों की भूमि तथा भवनों के मुद्रीकरण हेतु सौदा सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए परामर्शदायी फर्मों की सूची बनाने हेतु अनुरोध जारी किया है। ब्यौरा दीपम की वेबसाइट 'https://dipam.gov.' पर उपलब्ध है।

(ख) : वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश प्राप्ति हेतु संशोधित बजट अनुमान 1,05,000 करोड़ रुपये रखा गया है। सरकार की इस लक्ष्य को अल्पांश शेयरों की बिक्री, सामरिक विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से प्राप्त करने की योजना है।

*****